फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **उपखण्ड अधिकारी** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफार जाति लीलगर निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act. संख्या...**14/2024** सन्–**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19.11.2024	प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफार जाति लीलगर निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी आदेश तक सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादूबासनी के खसरा नम्बर 1010 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी प्रकार का बैचाण नही करेगें व उपपंजीयक डीडवाना पंजीयन की कार्यवाही नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक **24.12.2024** को पेश हो। Vikas 24/12/24 **पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक** 8/1/25 **को पेश हो।**	
8/1/2025	पत्रावली पेश हुई। राज. पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री अशोक जाफर ने वकालतनामा व जवाब तथा पेश किया ... [illegible] ... पत्रावली रहे। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना ... रेकार्ड का ...	अब्दुल जब्बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

XXXX

अवलोकन किया गया।

राज्य पैनलकार का कथन है कि अप्रार्थीगण ने खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया है इसलिए खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज किया जावे।

अप्रार्थीगण का जवाब है कि मौके पर केवल 04 बीघा में प्लोटिंग का नक्शा तैयार किया गया है। सम्पूर्ण खसरा की भूमि पर प्लोटिंग नहीं की गई है। उक्त खसरा में 90A की कार्यवाही हेतु नगरपालिका डीडवाना में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था व चालान रसीद संख्या 25 दिनांक 29.11.2024 को रुपये 70160/- जमाकरवा दिए गए हैं। भूमि को 90A के तहत दर्ज करने की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ग्राम मण्डावासनी के खसरा नम्बर 1010 रकबा 2.7400 हैक्टेयर भूमि के अकृषि उपयोग करने पर खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज करने की प्रार्थी/तहसीलदार डीडवाना प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण ने इस तथ्य को इन्कारा है।

खातेदारान/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रश्नगत भूमि के भूमि रूपान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी नगरपरिषद डीडवाना के समक्ष आवेदन पेश किए हैं तथा शुल्क रु 70160/- जरिए रसीद संख्या 25 दिनांक 29.11.2024 के जमा कराए गए हैं जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पुष्ट होता है। भूमि रूपान्तरण की कानूनी कार्यवाही खातेदारान के द्वारा की जा रही है तथा कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जेरकार है इसलिए वर्तमान स्टेज पर इस प्रकरण में कार्यवाही को लम्बित रखना व स्थगन आदेश को यथावत रखा जाने का कोई आधार नहीं है तथा कानून सम्मत भी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.11.2024 आज निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner